न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 14/15 वाद पत्र

उनवान

1–चुन्नी देवी पत्नि सोहन लाल तेली निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) **वादिया**

बनाम

1–भंवरलाल पुत्र भैरूलाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2–सुखलाल मृतक के बजाय :–
2/1–सुन्दर देवी पत्नि सुखलाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2/2–नोसी पत्नि सुखलाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2/3–रमेश पुत्र सुखलाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2/4–जगदीश पुत्र सुखलाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2/5–माया पुत्री सुखलाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
3–रोशनलाल पुत्र भैरूलाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
4–श्रीमान् लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसेन – **अधिवक्ता वादिया**

निर्णय दिनांक 12.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रायपुर में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात नवीन खाता संख्या 220 में अंकित आराजी संख्या 1077 रकबा 0.33 है0 आराजी संख्या 1078 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 स्थित है। उक्त कृषि भूमियों को वादिया ने दिनांक 20.12.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा किया तब से वादिया उक्त कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। वाद पत्र की कलम संख्या एक मे अंकित कृषि आराजियात वादीया के एकल स्वामित्व एवं आधिपत्य की है प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमियों में कोई हक व हिस्सा नही है परंतु प्रतिवादीगण वादिया द्वारा उनकी कृषि आराजियात के पास कृषि भूमि क्रय कर लेने से वादिया के साथ रंजिश रखने लग गए व आए दिन वादिया की कृषि भूमि मे दखलअंदाजी करने लग गए तथा वादिया के महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर वादिया एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि के मध्य सीमा के मुस्तकिल निशानात नहीं होने से वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लग गए जिस पर वादिया ने अपनी कृषि भूमियों की पत्थरगढी कराने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 2.1.2014 को श्रीमान् सहायक लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद प्रतिवादीगण ने आनन फानन मे दिनांक 1.3.2014 वादिया के कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 1078 रकबा 0.75 है0

राजी संख्या 1077 रकबा 0.33 है0 में से 0.75 है0 भूमि को अपनी कृषि आराजियात में मिलाते हुए पत्थर की कच्ची दिवार चुन दी तथा जबरन विधि विरूद्ध रूप से वादिया कि कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया वादिया द्वारा प्रतिवादीगण को मना करने पर प्रतिवादीगण ने वादिया को कहा कि यह हमारी जमीन है पत्थरगढी के बाद तुम्हारी जमीन निकलेगी तो तुम्है सोंप देंगे। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 5.3.2014 को वादिया की कृषि आराजियात की पत्थरगढी करने का आदेश पारित किया गया जिसकी पालना मे दिनांक 10.6.2014 को वादिया की कृषि आराजियात की पत्थरगढी की गई जिसमें प्रतिवादीगण का 0.75 है0 पर अवैध कब्जा पाया गया। प्रमाण मे पत्थरगढी के आदेश एवं मौका पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपी वादपत्र के साथ पेश है। वादिया की कृषि आराजियात की पत्थरगढी होने के पश्चात वादिया की भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाए जाने पर वादिया ने प्रतिवादीगण को अवैध कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गए तथा वादिया की भूमि पर लगे निशान को तोड़कर चूरा कर ले गए जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रायपुर पर दी परंतु प्रतिवादीगण राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से बलशाली होने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही हुई। प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर वादिया की भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर फसल काश्त कर रहै है तथा वादिया को उसके जायज हक से महरूम कर दिया है जिससे उनके विरूद्ध बेदखली की डिक्री जारी फरमाई जाकर कब्जा पुनः वादिया को दिलाया जाना न्यायोचित हो गया है। प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से वादिया की भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर फसल काश्त कर अवैध लाभ प्राप्त कर रहै है जिससे प्रतिवादीगण से दिनांक 1.3.2014 से प्रतिवादीगण की बेदखली तक प्रतिवर्ष 10000/– अन्तःकालीन लाभ के रूप वादिया को दिलाने की डिक्री जारी फरमाई जाए तथा वादिया की भूमि पर नाजायज दखलअंदाजी कर वादिया को नुकसान कारित कर रहै है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है। वादिया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 1.3.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादिया की भूमि मे अवैध कब्जा करने व उसके पश्चात दिनांक 10.06.2014 को वादिया कि भूमि की पत्थरगढी करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.04.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से वादिया के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगर्त आदेश 22 नियम 4 सि.पी.सि के तहत पेश किया तथा संशोधित टाईटल पेश किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल फाईल किया गया। संशोधित टाईटल के अनुसार प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तू बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कि गई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 मे भी नोटिस जारी किये गये।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया प्रतिवादीगण वादिया की कृषि भूमि जो ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर मे आराजी संख्या 1078 रकबा 0.75 है आराजी संख्या 1077 रकबा 0.33 है0 पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाकर कब्जा पु वादिया को दिलाया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को आराजी संख 1078 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 1077 रकबा 0.33 है0 मे किसी प्रकार की दखंलनदाजी न तो स्वयं करे किसी अन्य से करावे तथा वादिया को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इस आशय की स्थाई निषेध विरूद्ध प्रतिवादीगण को जारी की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने कारण वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर मे स्थित वादिया कि आराजी संख्या 1078 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 1077 रकबा 0.33 है0 पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाकर कब्जा पुनः वादिया को दिलाया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण वादिया कि आराजी संख्या 1078 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 1077 रकबा 0.33 है0 मे किसी प्रकार की दखंलनदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादिया को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती है। तदानूसार डिक्री पर्चा जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा